क्रम-संख्या–49

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०

डब्लू०/एन० पी० 91/2014–16

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, सोमवार, 24 मार्च, 2025

चैत्र 3, 1947 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

समाज कल्याण अनुभाग–3

———

संख्या 361/26-3–2025

लखनऊ, 24 मार्च, 2025

———

अधिसूचना

प0आ0–52

चूँकि सेवाएं या प्रसुविधायें या सहायिकी प्रदान करने के पहचान दस्तावेज के रूप में आधार के उपयोग से सरकारी परिदान प्रक्रियाएं सुगम हो जाती हैं, पारदर्शिता और दक्षता आ जाती है और लाभार्थी अपनी पहचान साबित करने के लिये बहुविध दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता से मुक्त होते हुए सुविधाजनक और निर्बाध रीति से सीधे अपना हक प्राप्त करने के योग्य हो जाते हैं ;

और, चूँकि, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश (जिसे आगे ''उक्त विभाग'' कहा गया है), अनुसूचित जाति/जनजाति एवं सामान्य वर्ग के गरीब व्यक्तियों के पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान योजना (जिसे आगे ''उक्त योजना'' कहा गया है) को प्रशासित कर रहा है, जो समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश (जिसे आगे ''क्रियान्वयनकर्ता अभिकरण'' कहा गया है) के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही है;

और, चूँकि, पूर्वोक्त योजना के अधीन क्रियान्वयनकर्ता अभिकरण द्वारा विद्यमान योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार पात्र महिला व पुरुष (जिन्हें आगे ''लाभार्थी'' कहा गया है) को वित्तीय सहायता (जिसे आगे ''प्रसुविधा'' कहा गया है) प्रदान की जाती है;

और, चूँकि, पूर्वोक्त योजना में उत्तर प्रदेश की संचित निधि से उपगत आवर्ती व्यय अन्तर्विष्ट है ;

अतएव, अब, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (अधिनियम संख्या 18 सन् 2016) (जिसे आगे ''उक्त अधिनियम'' कहा गया है) की धारा 7 के अनुसरण में उत्तर प्रदेश सरकार एतद्द्वारा निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात :–

1–(1) उक्त योजना के अधीन प्रसुविधायें प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्ति से एतद्द्वारा आधार संख्या धारित करने का प्रमाण प्रस्तुत करने या आधार अधिप्रमाणन कराने की अपेक्षा की जायेगी।

(2) उक्त योजना के अधीन प्रसुविधाओं का उपभोग करने का इच्छुक कोई व्यक्ति जो आधार संख्या धारित न करता हो या जिसने अभी तक आधार के लिए नामांकन न किया हो, से उक्त योजना को रजिस्ट्रीकृत करने से पूर्व आधार नामांकन के लिए आवेदन करने की अपेक्षा की जायेगी, परन्तु यह कि वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार प्राप्त करने का हकदार हो और ऐसे व्यक्ति को आधार हेतु नामांकित किये जाने के लिए किसी आधार नामांकन केन्द्र [भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यू0आई0डी0ए0आई0) की वेबसाइट www.uidai.gov.in) पर उपलब्ध सूची] पर जाना होगा।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार विभाग से ऐसे लाभार्थियों, जो अभी तक आधार के लिए नामांकित न हों, के लिए आधार नामांकन सुविधायें प्रदान किये जाने की अपेक्षा की जायेगी और यदि सम्बन्धित ब्लॉक या तालुका या तहसील में कोई आधार नामांकन केन्द्र अवस्थित न हो तो विभाग को अपने कियान्वयनकर्ता अभिकरण के माध्यम से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यू0आई0डी0 ए0आई0) के विद्यमान रजिस्ट्रारों के साथ समन्वय करके या स्वयं भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का रजिस्ट्रार होकर सुविधाजनक अवस्थानों पर आधार नामांकन सुविधायें प्रदान करेगा :

परन्तु यह कि किसी व्यक्ति को आधार समनुदेशित किये जाने के समय तक उक्त योजना के अधीन प्रसुविधायें ऐसे व्यक्ति को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने के अध्यधीन प्रदान की जायेंगी, अर्थात् :–

(क) यदि उसने नामांकन किया है तो उसकी आधार नामांकन पर्ची ; और

(ख) निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज, अर्थात् :–

(एक) फोटोयुक्त बैंक या पोस्ट आफिस पासबुक ; या

(दो) स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड ; या

(तीन) पासपोर्ट ; या

(चार) राशन कार्ड ; या

(पांच) मतदाता पहचान–पत्र ; या

(छः) मनरेगा कार्ड ; या

(सात) किसान फोटो पासबुक ; या

(आठ) मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59 सन् 1988) के अधीन लाइसेन्स प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया ड्राइविंग लाइसेन्स ; या

(नौ) राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा अपने शासकीय पत्र शीर्षक पर जारी किऐ गये ऐसे व्यक्ति की फोटोयुक्त पहचान प्रमाण–पत्र ; या

(दस) विभाग द्वारा यथा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज :

परन्तु यह और कि, उपरोक्त दस्तावेजों की जॉच, विभाग द्वारा उक्त प्रयोजनार्थ विनिर्दिष्ट रूप से अभिहित किसी अधिकारी द्वारा की जा सकती है।

2–पूर्वोक्त योजना के अधीन लाभार्थियों को सुविधाजनक रूप से प्रसुविधायें प्रदान करने के उद्देश्य से विभाग को अपने कियान्वयनकर्ता अभिकरण के माध्यम से यह सुनिश्चित करने के लिये समस्त अपेक्षित व्यवस्थाएं करनी होंगी कि मीडिया के माध्यम से लाभार्थियों के लिये व्यापक प्रचार–प्रसार, उन्हें उक्त आवश्यकताओं से अवगत कराने के लिये किया जायेगा।

3–समस्त मामलों में, जहॉ लाभार्थियों के खराब बायोमेट्रिक्स के कारण या किसी अन्य कारण से आधार अधिप्रमाणन विफल हो जाता है, वहॉ निम्नलिखित उपचारात्मक तंत्र अपनाये जायेंगे, अर्थात्:–

(क) खराब फिंगरप्रिंट गुणवत्ता के मामलें में, अधिप्रमाणन के लिये (आई0आर0आई0एस0) स्कैन या फेस अधिप्रमाणन सुविधा, अपनाई जाएगी, जिससे विभाग अपने क्रियान्वयनकर्ता अभिकरण के माध्यम से सहज रीति से प्रसुविधायें प्रदान करने के लिये फिंगर प्रिंट अधिप्रमाणन के साथ ही साथ आई0आर0आई0एस0 स्कैनर या फेस अधिप्रमाणन के लिये उपबन्ध करेगा ;

(ख) यदि फिंगरप्रिंट या आई0आर0आई0एस0 स्कैन या फेस अधिप्रमाणन के माध्यम से बायोमैट्रिक अधिप्रमाणन सफल नही होता है तो जहॉ कहीं सम्भाव्य और अनुज्ञेय हो, सीमित समय की वैधता के साथ यथास्थिति आधार वन टाइम पासवर्ड या समय–आधारित वन–टाइम पासवर्ड द्वारा अधिप्रमाणन, प्रदान किया जा सकता है ;

(ग) अन्य समस्त मामलों में जहॉ बायोमेट्रिक या आधार वन टाइव पासवर्ड या समय–आधारित वन–टाइम पासवर्ड अधिप्रमाणन संभव न हो, वहॉ उक्त योजना के अधीन प्रसुविधायें, ऐसे भौतिक आधार पत्र के आधार पर दी जा सकती है जिसकी अधिप्रमाणिकता, आधार पत्र पर मुद्रित क्विक रिस्पांस कोड (क्यू0आर0कोड) के माध्यम से सत्यापित की जा सकती है और क्विक रिस्पांस कोड रीडर की आवश्यक व्यवस्था, विभाग द्वारा अपने कियान्वयनकर्ता अभिकरण के माध्यम से सुविधाजनक अवस्थानों पर प्रदान की जायेगी।

4–उपरोक्त के अतिरिक्त यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि उक्त योजना के अधीन कोई वास्तविक लाभार्थी अपने देय प्रसुविधाओं से वंचित न हो, विभाग अपने क्रियान्वयनकर्ता अभिकरण के माध्यम से डी0बी0टी0 मिशन कार्यालय ज्ञाप कैबिनेट सचिवालय, भारत सरकार दिनांक 19 दिसम्बर, 2017 में यथा रेखांकित अपवाद हैण्डलिंग तंत्र का अनुसरण करेगा।

5–यह अधिसूचना सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रभावी होगी।

आज्ञा से,
एल0 वेंकटेश्वर लू,
प्रमुख सचिव।

———

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification no. 361/XXVI-3–2025, dated March 24, 2025 :

No. 361/XXVI-3–2025

Dated Lucknow, March 24, 2025

WHEREAS the use of Aadhaar as an identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity ;

AND, WHEREAS, the Social Welfare Department, Uttar Pradesh (hereinafter referred to as the "Department"), is administering the Anusuchit Jati/Janjati evam Samanya varg ke Gareeb Vyaktiyon ke Putriyon ki Shadi hetu Anudan Yojna (hereinafter referred to as the "Scheme"), which is being implemented through the Social Welfare Department, Uttar Pradesh (hereinafter referred to as the "Implementing Agency");

AND, WHEREAS, under the aforesaid Scheme, financial assistance (hereinafter referred to as the "benefit") is given to eligible females and males (hereinafter referred to as the "beneficiaries") by the Implementing Agency as per the extant Scheme guidelines;

AND, WHEREAS, the aforesaid Scheme involves recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of Uttar Pradesh ;

NOW, THEREFORE, in pursuance of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (Act no. 18 of 2016) (hereinafter referred to as the "said Act"), the Government of Uttar Pradesh hereby notifies the following, namely:-

1. (1) An individual eligible for receiving the benefits under the Scheme shall hereby be required to furnish proof of possession of the Aadhaar number to undergo Aadhaar authentication.

(2) An individual desirous of availing benefits under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, shall be required to make application for Aadhaar

enrolment before registering for the Scheme provided that he is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act, and such individuals shall visit any Aadhaar enrolment centre (list available at the Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Department through its Implementing Agency, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Department through its Implementing Agency shall provide Aadhaar enrollment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by becoming a UIDAI Registrar themselves:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the Scheme shall be given to such individual, subject to the production of the following documents, namely:-

(a) if he has enrolled, his Aadhaar enrolment identification slip; and

(b) any one to the following documents, namely:-

(i) Bank or Post office passbook with photo; or

(ii) Permanent Account Number (PAN) Card; or

(iii) Passport; or

(iv) Ration Card; or

(v) Voter Identity Card; or

(vi) MGNREGA Card; or

(vii) Kisan Photo Passbook; or

(viii) Driving license issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (Act no. 59 of 1988); or

(ix) Certificate of identity having photo of such person issued by a Gazetted Officer or a Tehsildar on an official letter head; or

(x) Any other document as specified by the Department :

Provided further that the above documents may be checked by an officer specifically designated by the Department for that purpose.

2. In order to provide benefits to the beneficiaries under the Scheme conveniently, the Department through its Implementing Agency shall make all the required arrangements to ensure that wide publicity through media is given to the beneficiaries to make them aware of the aforesaid requirements.

3. In all cases, where Aadhaar authentication falls due to poor biometrics of the beneficiaries or due to any other reason, the following remedial mechanisms shall be adopted, namely:-

(a) in case of poor fingerprint quality, IRIS scan or face authentication facility shall be adopted for authentication. Thereby, the Department through its Implementing Agency shall make provisions for IRIS scanners or face authentication along with fingerprint authentication for delivery of benefits in seamless manner.

(b) in case the biometric authentication through fingerprints or IRIS scan or face authentication is not successful, wherever feasible and admissible, authentication by Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password with limited time validity, as the case may be, shall be offered;

(c) In all other cases where biometric or Aadhaar One Time Password or time based One-Time Password authentication is not possible, benefits under the Scheme may be given on the basis of physical Aadhaar letter authenticity of which can be verified through the Quick Response code printed on the Aadhaar letter and the necessary arrangement of Quick Response code printed on the Aadhaar letter and the necessary arrangement of Quick Response code reader shall be provided at convenient locations by the Department through its Implementing Agency.

4. In addition to the above, in order to ensure that no bonafide beneficiary under the Scheme is deprived of his due benefits, the Department through its Implementing Agency shall follow the exception handling mechanism as outlined in the Office Memorandum no. D-26011/04/2017-DBT of DBT Mission, Cabinet Secretariat, Government of India, dated 19 th December, 2017.

5. This notification shall come into effect from the date of its publication in the official *Gazette*.

By order,

L. VENKATESHWAR LU,

Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 557 राजपत्र–2025–(1485)–599+10=609 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।